बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

7304 (S)

पत्रांक :– प्र०33(भू0अधि०) 47/2017 पटना, दिनांक :– 17/8/17

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,

प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,

पथ प्रमंडल/राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, बिहार ।

विषयः– भू–अर्जन हेतु आवंटित राशि के संधारण के संबंध में ।

महाशय,

पथ निर्माण विभाग द्वारा पथों के निर्माण हेतु भू–अर्जन किया जाता है ।

2. जिला भू–अर्जन कार्यालयों के ऑकलन के आधार पर आपकी अधियाचना के अनुसार विभाग द्वारा राशि आवंटित की जाती है । राशि को कोषागार से निकासी करके कार्यपालक अभियंता के स्तर से जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को स्थानांतरित किया जाता है ।

3. समाचार पत्रों में भागलपुर जिले के संदर्भ में प्रकाशित सूचना के मद्देनजर निम्नवत निदेश दिये जाते हैं :–

(i) भू–अर्जन कार्य हेतु आपके माध्यम से निकासी करके जो भी राशि भू–अर्जन कार्यालय को स्थानांतरित की गई है उसके व्यय विवरणी, उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा अवशेष राशि के संधारण की जानकारी प्राप्त करें ।

(ii) यह देखें कि जिस राशि की निकासी कोषागार से आपके द्वारा की गई है उसका उचित उपयोग हो गया है तथा अव्यवहृत अवशेष राशि भू–अर्जन कार्यालय के स्तर से सुरक्षित तौर पर कोषागार में अवशेष उपलब्ध है ।

4. उल्लेखनीय है कि भू–अर्जन मद में आवंटित होने वाली राशि के लेखा संधारण के संदर्भ में वित्त विभाग के परिपत्र सं0 5542 दिनांक–23.05.12 प्रतिलिपि संलग्न द्वारा दिशा–निर्देश दिये गये हैं, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि भू–अर्जन मद की राशि संबंधित जिले के कोषागार में PD लेखा में रखी जायेगी । इस खाते से समय–समय पर उतनी राशि की निकासी की जायेगी जिसे खर्च किया जाना है ।

5. गबन/दुर्विनियोग का कोई दृष्टांत प्रकाश में आये तो संबंधित जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कर उचित सुधारात्मक कदम उठाये जायें ।

6. इस संबंध में यथोचित कार्रवाई पूर्ण कर सात दिनों के अंदर निम्नवत प्रपत्र में विभाग को प्रतिवेदन भेजें ।

कम सं0	वित्तीय वर्ष	कार्य का नाम	विपत्र सं0	निकासी की गई राशि	DLAO को स्थानांतरित राशि	व्यय की गई राशि	अवशेष राशि	अवशेष राशि कहाँ संधारित है उसका वितरण	सत्यापन का सार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

अनु० :– यथोक्त।

17/8/17
(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांकः– 7304(S)ue पटना, दिनांक :– 17/8/17

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना (रा0उ0प0 सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुलग्नक - यथोक्त ।

17/8/17
(अमृत लाल मीणा)

1

26

पत्र सं0-एम-4-27/2011.....5511/9.../वि0(2)

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

पटना, दिनांक....9.3.5.11.9..

रामेश्वर सिंह,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी अनुमंडल पदाधिकारी,
सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी ।

विषय :- व्यक्तिगत जमा खाता खोलने एवं संचालित करने के संबंध में ।

प्रसंग :- वित्त विभागीय पत्र सं0 3687 दिनांक 30.03.2012 एवं महालेखाकार, बिहार का पत्र सं0 PDA-163(2011-12) दिनांक 13.12.2011

महाशय,

उपर्युक्त विषयक महालेखाकार, बिहार के पत्र सं0 PDA-163(2011-12) दिनांक 13.12.2011 का स्मरण किया जाय जो महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा आपको भी भेजी गयी है । महालेखाकार, बिहार द्वारा बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-339, 340(डी) एवं 365 के आलोक में मुख्य शीर्ष 8443 एवं लघु शीर्ष 106 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी के व्यक्तिगत जमा खाता खोले जाने की स्वीकृति दी जा चुकी है । इसी संदर्भ में वित्त विभागीय प्रासंगिक पत्र द्वारा आपको कोषागार पदाधिकारी से संपर्क कर व्यक्तिगत जमा खाता खुलवाने एवं भू-अर्जन से संबंधित राशि उसमें जमा करने की कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया गया था एवं उसके संचालन के संबंध में कतिपय दिशा-निर्देश भी दिये गये हैं । अभी तक केवल औरंगाबाद एवं बेगूसराय जिले में जिला पदाधिकारी के पदनाम से व्यक्तिगत जमा खाता खोले जाने की सूचना प्राप्त है परन्तु अन्य जिलों में व्यक्तिगत जमा खाता खोले जाने के संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुआ है तथा अभी भी भू-अर्जन से संबंधित राशि बैंक खाते में ही रखे गये हैं जो बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-34 एवं बिहार वित्तीय नियमावली खंड-1 के नियम-6 के प्रतिकूल है ।

अतः निदेश दिया जाता है कि कोषागार में अविलम्ब व्यक्तिगत जमा खाता खोलकर संबंधित राशि को उसमें जमा कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 17/5/11

(रामेश्वर सिंह)